प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

सचिव,
कृषि एवं कृषक कल्याण
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांक :- 182 /कृषि/जाँच/2023-24 दिनाँक :- 28/11/23

विषय :- **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर (वर्तमान में सम्बद्ध-कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड) द्वारा अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बरती गयी अनियमितताओं विषयक।**

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि जन-शिकायत निवारण दिवस दिनांक 30.10.2023 को विकासखण्ड रायपुर के ग्राम सिल्ला तथा ग्राम-रामनगर डाण्डा के कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किसानों के साथ की गयी वित्तीय धोखाधड़ी विषयक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी गयी थी, जिसमे मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून को जाँच कर आख्या देने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें उनके द्वारा निष्पक्ष जाँच हेतु समिति गठित करते हुए जाँच समिति के माध्यम से जाँच उपरान्त आख्या प्रेषित की गयी है।**(संलग्नक-1)** जाँच समिति द्वारा कृषको की शिकायतें सही पायी गयी है, स्थलीय निरीक्षण तथा कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर में उपलब्ध प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के आहरित बिल, अनुदान फार्म तथा अन्य बिलों की जाँच के उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में धरातल पर योजना के अनुरूप कार्य कराये बिना ही, बिना सत्यापन के कृषकों के नाम पर अनुदान बिलों का आहरण कर फर्मो को सीधे भुगतान कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार जाँच समिति की प्रारम्भिक जॉच में श्री राजदेव पंवार, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर (वर्तमान में सम्बद्ध-कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड)/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त प्रकरण में श्री राजदेव पंवार, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर (वर्तमान में सम्बद्ध-कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड) का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध तद्नुसार विधिक/विभागीय कार्यवाही शासन स्तर से करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीया,

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

जॉच आख्या

जन शिकायत निवारण दिवस दिनांक 30.10.2023 को कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून के शिकायत क्रमांक–57 तथा 97 पर अंकित शिकायतें जो कि विकासखण्ड रायपुर के ग्राम सिल्ला तथा ग्राम– रामनगरडाण्डा के कृषकों कमशः– श्री किशोरी लाल नौटियाल पुत्र श्री खिमानन्द नौटियाल, श्रीमती राजमति देवी पत्नी श्री हंसराम उनियाल, श्री लोकेन्द्र प्रसाद नौटियाल पुत्र श्री बिशम्बर दत्त नौटियाल, श्री लाखी राम काला पुत्र श्री दया राम काला तथा श्री हरदेव सिंह पुत्र स्व० श्री मिस्त्री लाल, श्री पंकज पुत्र स्व० श्री बलवीर सिंह द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किसानों के साथ की गयी वित्तीय धोखाधड़ी हेतु कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर की जॉच के सम्बन्ध में है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को उक्त प्रकरण की जॉच कर आख्या देने हेतु निर्देशित किया गया है। तद्नुसार कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी के पत्रांक 1918 दिनांक 31.10.2023 के द्वारा उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जॉच हेतु जॉच कमेटी गठित की गयी **(संलग्नक–01)**। जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 06.11.2023 तथा दिनांक 09.11.2023 को क्रमशः ग्राम सिल्ला तथा ग्राम रामनगरडाण्डा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण/ जॉच की यथास्थिति निम्न प्रकार से है–

1. सर्वप्रथम सिल्ला गॉव की शिकायतकर्ता कृषक श्रीमती राजमती देवी पत्नी श्री हंसराम उनियाल की कृषि भूमि का निरीक्षण किया गया। कृषि भूमि पर स्प्रिंकलर सेट लगा हुआ नहीं पाया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें आज तक भी कृषि विभाग से सिंचाई पाईप, स्प्रिंकलर सेट अथवा अन्य कोई भी सिंचाई उपकरण नहीं मिला है। उक्त कथन की पुष्टि हेतु उनके द्वारा अपना शपथ पत्र भी दिया गया है। **(संलग्नक–02 शपथ पत्र)**। उक्त शपथ पत्र में लाभार्थी कृषक द्वारा अंगूठा लगाया गया है, जबकि उनके पति द्वारा हस्ताक्षर किए गए है। कृषक द्वारा बताया गया कि वह पढी–लिखी न होने के कारण अंगूठा लगाती है।

उनके कथनानुसार उन्हें बताया गया था कि सिंचाई योजना के तहत उन्हें स्प्रिंकलर सेट तथा पाईप अनुदानित दरों पर विभाग के माध्यम से दिए जायेंगे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने ऐसे किसी आवेदन पत्र, शपथ पत्र, सहमति पत्र जिस पर यह लिखा है कि उनको दिये जाने वाले अनुदान की धनराशि फर्म को दे दी जाये, पर हस्ताक्षर नहीं किये गये है। **(संलग्नक– 03 कृषक की वीडियो तथा फोटोग्राफ)**

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर में उपलब्ध बिल संख्या 19 दिनांक 31.03.2023 से यह ज्ञात हुआ कि उक्त कृषक के नाम पर स्प्रिंकलर सेट के अनुदान रू0 64716.00 का भुगतान फर्म नयन इंटरप्राइजेज, डूंडा, उत्तरकाशी को किया गया है।**(संलग्नक–04 उपरोक्तानुसार बिल)** उक्त कृषक के कार्यालय बिलों का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि कृषक के हस्ताक्षर, कृषक द्वारा स्वयं दिये गये शपथ पत्र से भिन्न हैं। इस प्रकार जांच के दिनांक तक योजना का लाभ कृषक को नहीं दिया गया है तथा सम्भवतः फर्जी हस्ताक्षर करके कृषक के अनुदान की धनराशि सीधे फर्म को दी गयी है।

2. सिल्ला गॉव के दूसरे शिकायतकर्ता कृषक श्री लाखी राम पुत्र श्री दया राम ग्राम– सिल्ला विकासखण्ड रायपुर की कृषि भूमि का निरीक्षण किया गया। उनकी भूमि पर भी स्प्रिंकलर सेट लगा हुआ नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें भी आतिथि तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से

क्रमशः-2

सिंचाई पाईप, मिनी एवं माइको स्प्रिंकलर सेट अथवा अन्य कोई भी सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं दिया गया है। **(संलग्नक–05 शपथ पत्र)**। कृषक को अनुदान फार्म दिखाये जाने पर उन्होंने अवगत कराया कि अनुदान प्रार्थना पत्र तथा फार्म के साथ संलग्न शपथ पत्र पर जाली हस्ताक्षर किये गये है तथा उन्हें योजना अन्तर्गत पारित अनुदान की कोई जानकारी नहीं है। **(संलग्नक–06 कृषक की वीडियो तथा फोटोग्राफ)**

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई, रायपुर में उपलब्ध प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बिलों का अवलोकन करने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त कृषक श्री लाखी राम पुत्र श्री दया राम ग्राम– सिल्ला के नाम से एक ही वित्तीय वर्ष 2022–23 में दो बार अलग अलग फर्मों से लाभ देना दिखाया गया है। उपरोक्तानुसार कार्यालय बिल संख्या 02 दिनांक 29.09.2022 के द्वारा के0टी0 एग्रोटेक, देहरादून के बिल सं0–082 दिनांक 13.04.2022 पर अनुदान रू0 44758.00 का भुगतान सीधे फर्म को कर दिया गया है तथा मास्टर इंटरप्राइसेस, देहरादून के बिल सं0–9471 दिनांक 25.02.2023 पर कार्यालय के बिल सं0 20 दिनांक 31.03.2023 के द्वारा अनुदान रू0 64716.00 (55 प्रतिशत) तथा बिल संख्या 24 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा अनुदान रू0 29417.00 (25 प्रतिशत) का भुगतान सीधे फर्म को कर दिया गया है। इस प्रकार बिल की कुल धनराशि रू0 81377.00 से भी अधिक अनुदान का भुगतान रू0 94133.00 फर्म को किया गया है **(संलग्नक–07 यथोपरि बिल)**। उपरोक्तानुसार कृषक की भूमि पर स्प्रिंकलर लगाये बिना ही दो बार कृषक के नाम से अनुदान पारित हुआ है तथा बिल की धनराशि से अधिक अनुदान राशि का भुगतान भी किया गया है, जिससे एक घोर वित्तीय अनियमितता दृष्टिगत होती है।

3. तत्पश्चात् सिल्ला गॉव के शिकायतकर्ता कृषक श्री किशोरी लाल नौटियाल पुत्र श्री खिमानन्द नौटियाल ग्राम– सिल्ला विकासखण्ड रायपुर की कृषि भूमि का निरीक्षण किया गया। उनकी कृषि भूमि पर भी स्प्रिंकलर सेट लगा हुआ नहीं पाया गया। उनके द्वारा बताया गया कि कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई पाईप तथा स्प्रिंकलर सेट मिलने थे परन्तु योजनान्तर्गत कुछ भी सिंचाई का साधन नहीं मिला है। **(संलग्नक–08 शपथ पत्र)** कृषक द्वारा अवगत कराया गया कि अनुदान प्रार्थना पत्र/बिल पर भी कृषक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये है। **(संलग्नक–09 कृषक की वीडियो तथा फोटोग्राफ)** कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई, रायपुर में उपलब्ध प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बिल सं0 01 दिनांक 29.09.2022 तथा बिल सं0 13 दिनांक 31.03.2023 से यह ज्ञात हुआ है कि उक्त कृषक के नाम से भी एक ही वित्तीय वर्ष 2022–23 में दो बार अलग अलग फर्मों (के0टी0 एग्रोटेक, देहरादून बिल सं0–071 दिनांक 13.04.2022 तथा मास्टर इंटरप्राइसेस, देहरादून बिल सं0–9467 दिनांक 25.02.2023) द्वारा स्प्रिंकलर सैट का लाभ देना दर्शाया गया है, जबकि वास्तव में कृषक की भूमि पर निरीक्षण की दिनांक तक एक भी स्प्रिंकलर सैट नहीं लगा है। उक्तानुसार कृषक के नाम से दो बार स्प्रिंकलर सैट योजना की अनुदान धनराशि **कुल रू0 1,09,859.00 (रू0 44758.00, रू0 44757.00 तथा रू0 20344.00)** का भुगतान दो फर्मो को कर दिया गया है **(संलग्नक–10 यथोपरि बिल)**। इस प्रकार दो बार एकएक ही कृषक के नाम से अनुदान राशि आहरित कर सीधे फर्मो का भुगतान करना तथा कृषक को वास्तविक लाभ न दिया जाना सरकारी धन के दुरूप्रयोग की श्रेणी में आता है।

क्रमशः 3

4. सिल्ला ग्राम के ही एक और शिकायतकर्ता कृषक श्री लोकेन्द्र दत्त नौटियाल पुत्र स्व0 श्री बिशम्बर दत्त नौटियाल, विकासखण्ड रायपुर की कृषि भूमि का निरीक्षण करने पर भी उक्तानसुार ही स्थिति दृष्टिगत हुयी। उनकी कृषि भूमि पर भी निरीक्षण की दिनांक तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई पाईप, स्प्रिंकलर सेट अथवा अन्य कोई भी सिंचाई का साधन नहीं मिला है। **(संलग्नक–11 शपथ पत्र)** कृषक द्वारा बताया गया कि उन्हें कुछ बण्डल पाईप प्राप्त हुआ है, परन्तु उनके खेतों पर भी स्प्रिंकलर सैट नहीं लगाये गये हैं। कृषक द्वारा अवगत कराया गया कि अनुदान प्रार्थना पत्र/बिल के साथ लगे शपथ पत्र पर भी उक्त कृषक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये है **(संलग्नक– 12 कृषक की वीडियो तथा फोटोग्राफ)**। कार्यालय के बिल सं0 13 दिनांक 31.03.2023 के द्वारा मास्टर इंटरप्राइसेस, देहरादून के बिल सं0–9464 दिनांक 25.02.2023 के द्वारा अनुदान रू0 44757.00 (55 प्रतिशत) तथा बिल संख्या 02 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा अनुदान रू0 20344.00 (25 प्रतिशत) का भुगतान सीधे फर्म को कर दिया गया है। **(संलग्नक– 13 उपरोक्तानुसार बिल)**

उक्त कृषकों के अतिरिक्त ग्राम सिल्ला में अन्य कृषकों द्वारा भी एकत्रित होकर निरीक्षण के दिनांक पर अधोहस्ताक्षरी को स्प्रिंकलर सैट न मिलने की शिकायत की गयी। **(संलग्नक–14 उपस्थिति)**। साथ ही एक महिला कृषक कमली देवी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके मृतक पति स्व0 श्री राम प्रसाद पुत्र श्री गोवर्धन, ग्राम सिल्ला के नाम पर भी उनकी जानकारी के बिना ही स्प्रिंकलर सैट पर अनुदान निकाला गया है। उक्तानुसार स्थिति अत्यन्त ही गंभीर है।

जॉच टीम जब ग्राम–सिल्ला में स्थलीय निरीक्षण एवं जॉच करके निकल रही थी, तब वाहन संख्या UK07 CD7045 तथा UK08 CB1119 द्वारा **ग्राम सिल्ला में स्प्रिंकलर पाईपों से भरी गाडी** गांव में पहुँचायी जा रही थी, जबकि मार्च 2023 में कार्य पूर्ण होना दर्शाया गया है। जो यह दर्शाता है कि कृषकों द्वारा की गयी शिकायत की जांच होने पर फर्मों द्वारा कृषकों को पाईप भेजे जा रहे हैं, जो कि अपने आप में ही प्रकरण की गम्भीरता को दर्शाता है। **(संलग्नक–15 फोटोग्राफ)**

5. ग्राम रामनगरडान्डा के शिकायतकर्ता कृषक श्री हरदेव सिंह पुत्र स्व० श्री मिस्त्री लाल तथा श्री पंकज पुत्र स्व० श्री बलवीर सिंह, न्याय पंचायत थानों, विकासखण्ड रायपुर की कृषि भूमि का निरीक्षण किया गया। उक्त कृषकों की कृषि भूमि पर स्प्रिंकलर सेट लगा हुआ नहीं पाया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें जांच की तिथि तक भी कृषि विभाग से सिंचाई पाईप, स्प्रिंकलर सेट अथवा अन्य कोई भी सिंचाई उपकरण नहीं मिले हैं। **(संलग्नक– 16 शपथ पत्र)** उक्त कृषक के खेत पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में भी निरीक्षण किया गया था जिसकी स्थिति से उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया गया था **(संलग्नक– 17 निरीक्षण आख्या तथा कृषक की वीडियो, फोटोग्राफ)**। कार्यालय के बिल सं0 28 दिनांक 31.03.2023 तथा बिल सं0 25 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा उक्त दोनों कृषकों के नाम पर अलग– अलग अनुदान राशि रू0 65101.00 (रू0 44757.00 तथा रू0 20344.00) का भुगतान मास्टर इंटरप्राइसेस, देहरादून को किया गया है, जबकि मौके पर स्प्रिंकलर सेट लगे ही नहीं हैं।

उक्त ग्राम रामनगरडान्डा गॉव के ही एक और कृषक श्री मदन मोहन पुत्र श्री मॉडू, न्याय पंचायत थानों, विकासखण्ड रायपुर के द्वारा भी अधोहस्ताक्षरी को शपथ पत्र देकर उनकी कृषि भूमि पर स्प्रिंकलर न लगने तथा धोखाधडी की शिकायत की गयी तथा जांच करने पर कृषक द्वारा की

गयी शिकायत सही पायी गयी। **(संलग्नक– 18 शपथ पत्र)** कार्यालय के बिल सं0 28 दिनांक 31.03.2023 तथा बिल सं0 25 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा उक्त कृषक के नाम पर भी अनुदान राशि रू0 65101.00 (रू0 44757.00 तथा रू0 20344.00) का भुगतान मास्टर इंटरप्राइसेस, देहरादून को किया गया है। **(संलग्नक– 19 उपरोक्तानुसार बिल)**

उक्त लाभार्थी कृषकों के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर कार्यालय से आहरित बिल, अनुदान फार्म एवं संलग्नक अन्य पत्रों का अवलोकन करने से निम्न स्थिति दृष्टिगत हो रही है:–

- यह कि अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र तथा आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र पर सभी कृषकों के जो **हस्ताक्षर किये गये हैं, वह सही नहीं** हैं। वह कृषकों के द्वारा समक्ष मुख्य कृषि अधिकारी को दिये गये शपथ पत्रों के हस्ताक्षर से भिन्न हैं। सम्भवतः अनुदान की राशि फर्म को देने के उद्देश्य से सभी आवेदन पत्रों पर **फर्जी हस्ताक्षर** करके अनुदान की धनराशि सीधे फर्मो को भुगतान कर दी गयी है।
- यह कि अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र पर न्यायपंचायत प्रभारी के दिनांक रहित हस्ताक्षर अंकित हैं। जबकि स्थलीय सत्यापन की दिनांक अंकित नहीं है। विकासखण्ड प्रभारी रायपुर के मोहर सहित हस्ताक्षर अंकित हैं तथा टिप्पणी अंकित है कि ''मेरे द्वारा दिनांक 28.03.2023 को स्थलीय सत्यापन किया है''। अधिकाशतः स्थलीय सत्यापन विकासखण्ड प्रभारी द्वारा 28.03.2023 को ही किये गये हैं, जो कि **सम्भव प्रतीत नहीं** हो रहा है।
- यह कि सभी अनुदान प्रार्थना पत्रों के साथ प्रदत्त शपथ पत्र संलग्न किये गये हैं, जिसमें अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ यह उल्लिखित है कि ''फर्म के द्वारा मुझे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को चलाने का आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है। अतः देय अनुदान धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कार्यकर्ता फर्मों को कर दिया जाये, जिस पर मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।'' सभी कृषकों के कथनानुसार न ही उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है और न ही उन्हें यह जानकारी है कि उनके नाम से अनुदान निकालकर फर्मो को भुगतान किया जा रहा है। इस कारण कृषकों में अत्यन्त रोष व्याप्त है। कदाचित ही यह आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।
- कार्यालय के बिलों कि साथ संलग्न कृषकों की फोटोग्राफ वास्तविक कृषक से भिन्न है।
- यह कि उक्त समस्त कृषकों के नाम पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर द्वारा अधिकाशतः कुल 80 प्रतिशत अनुदान राशि (55 प्रतिशत केन्द्रपोषित योजना से एवं 25 प्रतिशत राज्यपोषित योजना से) विभिन्न फर्मो को सीधे भुगतान कर दी गयी है, जबकि धरातल पर योजना के अनुरूप स्प्रिंकलर स्थापित करने का कार्य कराया ही नहीं गया है। साथ ही योजनानुसार समस्त अनुदान कृषकों को डी0बी0टी0 किया जाना चाहिए था परन्तु कृषकों के नाम से बिल का आहरण कर कुछ फर्मो को लाभान्वित किया गया है।

क्रमशः–5

निष्कर्ष –

उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता/लाभार्थी कृषकों की स्थलीय जांच एवं बिलों की जांच के उपरान्त जांच समिति निम्नवत् निष्कर्ष पर पहुँची है–

1. ग्राम– सिल्ला तथा ग्राम– रामनगरडाण्डा के समस्त कृषकों द्वारा की गयी शिकायत सही पायी गयी, उनकी कृषि भूमि पर जांच की दिनांक तक स्प्रिंकलर सेट स्थापित नहीं किए गए थे और न ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कोई लाभ मिला है।
2. कृषकों के कथनानुसार अनुदान हेतु आवेदन पत्रों पर तथा शपथ पत्रों पर उनके फर्जी हस्ताक्षर करे गए हैं तथा उनको मिलने वाले अनुदान की धनराशि सीधे फर्म को दे दी गयी है। यह कथन भी सत्य पाया गया। यह एक गम्भीर प्रकरण है, फर्जी हस्ताक्षर कर कागज तैयार कराना, फर्जी शपथ पत्र तैयार कराकर बिलों का आहरण करना एक प्रकार से धोखाधडी के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता के तहत आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
3. एक कृषक को दो बार स्प्रिंकलर सैट के नाम पर बिना कृषक की जानकारी के फर्जी तरीके से अलग अलग फर्मों को भुगतान करना तथा फर्म की कुल धनराशि से भी अधिक अनुदान राशि का भुगतान करना सरकारी धन के गबन की श्रेणी में आता है।
4. दो कृषकों के नाम एक ही वित्तीय वर्ष 2022–23 में दो बार स्प्रिंकलर सैट लगाने हेतु अनुदान पारित किया गया है, जो कि अत्यन्त गम्भीर लापरवाही तथा वित्तीय धोखाधड़ी का घोतक है।
5. वास्तविक कृषकों की जानकारी के बिना तथा बिना स्थलीय सत्यापन के ही कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर द्वारा उक्त कृषकों के नाम से बिलों पर अनुदान राशि का आहरण कर कुछ फर्मों को लाभान्वित किया गया है। सम्भवतः कुछ फर्मों को लाभ देना उद्देश्य था।
6. उक्तानुसार फर्म के बिलों का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ है कि सम्बन्धित फर्म के बिलों पर जी0एस0टी0 की कटौती भी नहीं की गयी है तथा बिलों के साथ न तो e-way बिल संलग्न है और न ही कोई चालान संलग्न है। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इसकी कोई आवश्यकता क्यों नही समझी गयी, जबकि सीधे फर्म को किये जाने वाले भुगतान की धनराशि काफी अधिक है।
7. कृषि निदेशालय से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के साथ साथ पत्र संख्या 17942 दिनांक 23.03.23 के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनार्न्तगत आवंटित धनराशि को सदुपयोग करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें यह स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि कृषकों को देय अनुदान को डी०बी०टी० के माध्यम से भुगतान किया जाए, परन्तु कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए सीधे फर्म को भुगतान किया गया है।
8. उक्तानुसार सम्बन्धित फर्मो 1– M/S Master Enterpriese, Dehradun, 2- M/S K.T Agrotech, Dehradun, 3- M/S Nayan Enterprises, Uttarkashi की भी संदिग्ध भूमिका प्रतीत हो रही है। माह मार्च 2023 में कार्य पूर्ण दिखाया गया है, परन्तु निरीक्षण जॉच की दिनांक/माह नवम्बर, 2023 तक भी सम्बन्धित कृषकों की भूमि पर स्प्रिंकलर सेट स्थापित नहीं किया गया था।

जॉच टीम जब ग्राम–सिल्ला में स्थलीय निरीक्षण एवं जॉच करके निकल रही थी, तब मौके पर वाहन संख्या UK07 CD7045 के माध्यम से उपरोक्त फर्म द्वारा ग्राम–सिल्ला के 19 कृषकों हेतु पाईप भेजे गये, जो कि अपने आप में ही अनियमितता को प्रदर्शित करता है।

9. सम्बन्धित फर्मों 1– M/S Master Enterpriese, Dehradun, 2- M/S K.T Agrotech,Dehradun, 3- M/S Nayan Enterprises, Uttarkashi को पत्राचार करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त समस्त फर्मों के **पते सही नहीं** हैं। पुष्टि हेतु अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर, देहरादून को भी पत्राचार किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त इकाई में स्प्रिंकलर सैट लगााने वाली अन्य तीन फर्मों 1- M/S Mahashankti Enterprises, Dehradun, 2- AVS Enterprises, Dehradun, 3- M/S Yash Agrotech, Uttarkashi, के भी पते सही नहीं पाये गये, जिससे उक्त समस्त छः फर्मों की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। **(संलग्नक– 20 पत्र तथा डाकघर से वापस आये लिफाफों की छायाप्रति)**।

10. योजना में पारदर्शिता बनी रहे एवं पुनरावृत्ति न हो, इस कारण ही योजनान्तर्गत जियो टैगिंग को अनिवार्य किया गया है, परन्तु गलत तरीके से जियो टैगिंग कर इस उद्देश्य को ही नकार दिया गया है।

11. उपरोक्तानुसार तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर द्वारा सरकारी धन का दुरूप्रयोग किये जाने की पुष्टि की जा सकती है।

जाँच आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रस्तुत।

संलग्नक - 01 से 20 तक
(कुल पृष्ठ 134 तक)
+ Pan Drive (Photos + videos)

(लतिका सिंह)
जाँच अधिकारी/
मुख्य कृषि अधिकारी,
देहरादून।

कार्यालयः– मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।

पत्रांकः–2057/मु०कृ०अ०/जाँच पत्रा0/2023–24/दिनांक 20/11/2023

प्रतिलिपि :– निम्न की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, देहरादून।
2. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून।
3. अपर कृषि निदेशक महोदय, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. कृषि निदेशक महोदय, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. महानिदेशक कृषि एंव कृषक कल्याण महोदय, उत्तराखण्ड देहरादून।

20/11/23
जाँच अधिकारी/
मुख्य कृषि अधिकारी,
देहरादून।

(कृ. भू. सं. अ.)
सहसपुर

(AAE)